न्यायालय प्रथम अपील प्राधिकारी एवं जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(अपील अन्तर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005)

अनवान

मोतीलाल सिघांनिया, **जी–37, रिक्को 4Th फेज, पुर रोड़, भीलवाड़ा जिला भीलवाडा**

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी आसीन्द, जिला भीलवाड़ा

प्रकरण संख्या :– 10/**2025**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28–03–2025	**–: निर्णय :–** 1. पत्रावली आज पेश हुई। अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी अनुपस्थित। 2. अपीलार्थी ने अपने आवेदन–पत्र दिनांक 23–**01–2025** में वर्णित सूचना, लोक सूचना अधिकारी रेस्पोडेंट के द्वारा उपलब्ध नहीं करवाये जाने से व्यथीत होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील 07–03–2025 को प्रस्तुत कर रेस्पोडेंट से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है। 3. लोक सूचना अधिकारी एवं **उपखण्ड अधिकारी आसीन्द, जिला भीलवाड़ा** ने जरिये पत्रांक 1650 दिनांक 25–03–2025 से अवगत कराया कि प्रार्थी अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना उनके द्वारा अपीलार्थी प्रार्थी को भिजवाई जा चुकी है। ऐसी स्थिति में उक्त प्रकरण में अब कोई कार्यवाही शेष होना प्रतीत नहीं होता है। 4. लिहाजा उपरोक्त विवेचन के मध्यनजर अपीलार्थी की ओर प्रस्तुत अपील दिनांक 07–03–2025 में अब कोई अपेक्षीत कार्यवाही शेष नहीं रहने से से खारीज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो। निर्णय आज दिनांक 28–03–2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(जसमीत सिंह संधू)** प्रथम अपीलीय अधिकारी लोक सूचना एवं जिला कलक्टर, भीलवाड़ा	